

कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन

(खनन अनुभाग)

संख्या: 504 / खनिज-एम0एम0सी0-30 (ई-टेंडर-2023)

दिनांक: 30 अक्टूबर 2023

ई-निविदा आमंत्रण हेतु ई-निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद जालौन के नदी तल में उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार बालू/मौरम के खनन क्षेत्रों को शासनादेश संख्या-781/86-2020-14(सा)/2020, दिनांक 23 मई, 2020 में दिये गये निर्देशानुसार 06 माह की अल्प अवधि के लिये ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा दिनांक 07.11.23 से 14.11.2023 तक (पांच कार्य दिवस) तक क्षेत्रों के लिये ई-निविदा पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. क्षेत्र का विवरण:-

क्र० सं०	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या/खण्ड सं०	क्षेत्रफल (एकड़ में)	सीमायें	जियोकोर्डिनेट		उपखनिज का नाम	खनन योग्य निर्धारित/आंकलित उपखनिज की मात्रा (घनमी० में)	आधार मूल्य (रायल्टी दर X निर्धारित/आंकलित मात्रा)	अर्नेस्ट मनी (आधार मूल्य का 50 प्रतिशत)
						अक्षान्तर	देशान्तर				
1	उरई	कुरौना	317मि खण्ड सं०-4	40.00	उत्तर-सीमा खण्ड सं०-5 नदी बेतवा दक्षिण-सीमा खण्ड सं०-3 नदी बेतवा जनपद-हमीरपुर पूर्व- जनपद हमीरपुर स्थित नदी बेतवा पश्चिम-नदी का शेष भाग आगे आ०सं० 290,284,283,281,279, व 278	A-25° 54' 5.15" N B-25° 54' 10.60" N C- 25° 54' 16.47" N D- 25° 54' 16.93" N E- 25° 54' 11.28" N F- 25° 54' 1.83" N G- 25° 53' 57.98" N	79° 36' 31.18" E 79° 36' 33.77" E 79° 36' 33.31" E 79° 36' 43.90" E 79° 36' 45.20" E 79° 36' 44.93" E 79° 36' 43.63" E	बालू/मौरम	121455	1,82,18,250/-	91,09,125/-

- ई-निविदा में प्रतिभाग करने वाले ई-निविदादाताओं को ई-निविदा पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर अपलोड किये गये समस्त अभिलेख की मूल प्रति खनिज कार्यालय, जालौन स्थान उरई में दिनांक 16.11.2023 समय 05:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा।
- अनुज्ञा पत्र की अवधि (मानसून सत्र जुलाई, अगस्त, सितम्बर को छोड़कर) अधिकतम 06 माह के लिये होगी।
- जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित उपखनिज (बालू या मौरम या बजरी या बोल्टर या इनमे से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो) की मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति की मात्रा अनुमन्य होगी।
- किसी क्षेत्र के ई-निविदा हेतु निविदा में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा। अनेस्ट मनी, आधार मूल्य के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी के पक्ष में, जहां वह खनन क्षेत्र स्थित है, अग्रिम रूप में दी जायेगी। प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग-अलग निविदा प्रस्तुत की जायेगी तथा तदनुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग-अलग अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।
- ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज बालू, मौरम, बजरी, बोल्टर की मात्रा एवं खनन स्थल के लिये पहुँच मार्ग आदि के लिये मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई-निविदा में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में ई-निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:-
 - ई-निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स द्वारा किसी सर्टिफाइंग एजेन्सी से टाईप-II का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।
 - इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से etenders.up.nic.in पर आनलाईन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-निविदा etenders.up.nic.in के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आईडी व पासवर्ड बनायेंगे।
 - बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स ई-निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

- (घ) निविदा से सम्बन्धित अधिकारीगण, निविदा समिति के सदस्य भी डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी एवं निविदा समिति के सदस्य यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
8. निविदादाता द्वारा ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय etenders.up.nic.in पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0 लॉगिन कर तकनीकी बिड के समय संलग्न प्रारूप-2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्न स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा :-

प्रारूप-2 की सूचनायें :-

- क- विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया है।
 ख- विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक
 ग- निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मो0नं0।
 घ- उस क्षेत्र और खनिज का विवरण, जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की गयी है।
 ङ- अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0-2000/- का चालान संख्या व दिनांक।
 च- आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का क्रमांक।
 छ- पैनकार्ड का क्रमांक।
 ज- चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो।
 झ- कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या।

स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र :-

- क- ई-निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रू0-2,000/- का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।
 ख- आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।
 ग- पैन कार्ड।
 घ- जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी, जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र, परन्तु जहाँ आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहाँ इस आशय का शपथ पत्र।
 ङ- सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी, जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र। फर्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN आवश्यक होगा।
9. विज्ञप्ति के अनुसार पाँच कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को दिनांक 17.11.2023 को समय 03:30 अपरान्ह में जिलाधिकारी द्वारा गठित ई-निविदा समिति के दो सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा खोला जायेगा।
10. यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या-6 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये गये प्रारूप-2 की प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।
11. बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई-निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि (निविदा डाले जाने की अन्तिम तिथि के अगले कार्य दिवस) तक सम्बन्धित खनिज कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।
12. सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन, उस क्षेत्र पर खनन अनुज्ञा दिये जाने के लिये किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा डाले जाने के समय ऑनलाईन अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रति सम्बन्धित खनिज कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका कार्यालय द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखों से मिलान कर लिया जायेगा। अभिलेखों के मिलान के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सफल निविदाकर्ता के पक्ष में खनन अनुज्ञा हेतु आशय पत्र जारी किया जायेगा।
13. सफल निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
14. प्राप्त ई-निविदा के अनुसार 06 माह के लिये देय कुल निविदा धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि में से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि आशय पत्र निर्गत होने के दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करना पड़ेगा। शेष 50 प्रतिशत की धनराशि अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा धनराशि पर नियमानुसार डी0एम0एफ0 एवं टी0सी0एस0 देय होगा।
15. जिन क्षेत्रों में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन क्षेत्रों के सफल निविदादाता को नियमानुसार पर्यावरण अनापत्ति को अपने पक्ष में हस्तान्तरण करना होगा। जिन क्षेत्रों के लिये पर्यावरण प्राप्त नहीं है, के सफल निविदाकार खनन अनुज्ञा हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु

परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक-14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण अनाति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। अनुज्ञा-पत्रधारक से अनुज्ञा अवधि समाप्ति के उपरान्त पर्यावरण स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र लिया जायेगा।


16. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा। तत्पश्चात् खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा।
17. अनुज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति दिनांक तक, या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञा मात्रा हटा न ली जाये, इनमें से जो भी पहले हो, के लिये अनुज्ञा पत्र वैध रहेगा।
18. पर्यावरण अनाति प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रियायें सम्पादित करेगा।
19. क्षेत्र की स्थानीय स्थिति तथा प्राविधिक समस्याओं के दृष्टिगत अतिरिक्त शर्तों का निर्धारण सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।
20. मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश, उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 तथा समय समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
21. जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।
22. अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो अनुज्ञा पत्र धारक को अपना मामला बताने की युक्ति युक्ति अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञा पत्र समाप्त किया जा सकता है।
23. नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुज्ञा पत्र धारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा किया जायेगा।
24. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह अनुज्ञा पत्र धारक को मान्य होगा।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी,
जालौन।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञापित को व्यापक प्रचार प्रसार वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।
7. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, झांसी।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जालौन स्थान उरई।
9. जिला सूचना अधिकारी, जालौन स्थान उरई को 02 दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशनार्थ।


जिलाधिकारी,
जालौन।